

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0,  
देहरादून।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आरकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।  
FP/UK/ROAD/16964/2015

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, के पत्रांक 833/12-1 दिनांक 05-11-2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	EDS	REPLY
1	The Total area of villagewise breakup does not match with the area proposed for diversion in Part I. The State Govt may do the necessary correction.	खण्डीय स्तर पर अपलोड फार्म A के पार्ट I के बिन्दु सं० B-2.3 पर ठीक कर दिया गया है।
2	The State Govt has provided /uploaded the scanned copy of GIS software generated digial map without showing geo coordinates which is not acceptable. The State Govt may provided/uploaded the correct map showing geo coordinates at 200 to 300m interval along the alignment including all turning points on eact to the Scale and ensure the uploading the correct revised map in online Part I.	फार्म A में पार्ट I के बिन्दु सं० C (iv) में ठीक कर दिया गया है।
3	The State Govt may provide/uploaded GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA which should be 11.265ha providing geo coordinates at all corner point in shape (polygon/closed area) file. The Google Earth Map will no accepted for the purpose.	फार्म A में पार्ट I के बिन्दु सं० C (v) में ठीक कर दिया गया है।
4	The State Govt may provide/upload coorrect KML file for CA in part II.	फार्म A में पार्ट I के बिन्दु सं० L-(iv)-C में ठीक कर दिया गया है।

5	The State Govt may review the density of the area in view of the number of trees proposed to be felled in the area and correct the NPV calculation in hard copy as well as in online Part II.	प्रस्तावित समरेखण में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 325 है, एवं जिसका घनत्व 0.6 है। एवं प्रस्ताव के प्रारूप 50में प्रत्यावर्तन हेतु अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटीवश 5.220 है० अंकित हो गया था जबकि वास्तविक क्षेत्रफल 5.6325 है० है। हार्ड कापी में एन०पी०वी० की धनराशि 4410900.00 त्रुटीवश दर्शायी गयी थी। जबकि एन०पी०वी० की वास्तविक धनराशि 4759462.50 आती है। जिसे आनलाईन प्रस्ताव के फार्म A में पार्ट। के अतिरिक्त संलग्नक के क्रमांक सं० 38 पर संलग्न कर दिया गया है। पार्ट II में उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग पुरोला द्वारा भरी जानी है। (एन०पी०वी० प्रमाण पत्र संलग्न)
6	In the cost benefit analysis uploaded in the part I in both performa VI b and VIC needs to be quantified in monetary terms Cost over Benefits ratio may also be worked out.	फार्म A में पार्ट। के बिन्दु सं० G-(a) में ठीक कर दिया गया है।
7	Employment details provided in online Part-I is seems to be incorrect the State Govt may review the information and provide correct information if required.	खण्डीय स्तर पर पूर्व में नियमित अधिकारी/कर्मचारी होने के कारण नियमित रोजगार दिवसों की संख्या का आंकलन प्रस्ताव में नहीं किया गया है। अपितु परियोजना के पूर्व होने में अस्थाई 19716 रोजगार दिवस पैदा होने की सम्भावना होगी।
8	The CA Scheme is uploaded in Part II is only for area of 10.46ha while it should be prepared for twice the area proposed fir diversion ie 11.2005ha. The State Govt may online Part II.	फार्म A में पार्ट। के बिन्दु सं० L (iv)-(h) 11.265 है० ठीक कर दिया गया है। सी०एस० स्कीम फार्म। पार्ट। के अतिरिक्त संलग्नक के क्रमांक सं० 39 पर संलग्न है।
9	Administrative Approval and financial Sanction for construction of this road uploaded as additional documents in Part I is issued in the year 2005 may clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17.	प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2454/111(2)/05-07(प्रा०आ०)/05 टी०सी० दिनांक 28 अक्टूबर 2005 के द्वारा 9.00 किमी० लम्बाई हेतु 221.80 लाख की प्राप्त है, के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में इस मार्ग का 7.425 किमी० लम्बाई में 3.745 है० (7.50मी० चौड़ाई में) वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया था। जिसे भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र के पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/06/43/2012/एफ०सी०/674 दिनांक 31/8/2012 द्वारा प्रकरण में सिविल सोयम भूमि को राज्य सरकार द्वारा Denotify कर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति को गैर कानूनी है एवं मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा एवं सिविल सोयम भूमि में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न किया जाय सूचित किया गया है। इसके उपरान्त भारत सरकार के पत्र सं० 11/मिस०/बन्द/1146/यू०सी०पी०/11/1308 दिनांक 12 फरवरी०13 के द्वारा प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी के पैरा 4.14 के तहत बन्द/निरस्त किया गया है। प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

10	As per tree enumeration list attached with the proposal out of 325 trees in forest area 44 trees are of dia 0-10cm and the value should come 284 inonline Part II but the no of these proposed to be felled inonline Part II is 313 the State Govt may rectify the same and give correct details in online Part II.	भाग-2 प्रपत्र में काटे जाने वाले वृक्षों की सं० 281 के स्थान पर 313 लिखी गई जो भूलवश लिखा गया जबकी भाग-2 प्रपत्र में काटे जाने वाले वृक्षों की सं० 281 है जिनको कि अब भाग-2 प्रपत्र में सही कर दिया गया है।
11	The CA Stipulated does not commensurate with the total area diverted in the district the State Govt. may do the necessary correction in online Part II. In the district profile and give complete and correct details with proper justification of poor progress of CA in additional documents if required.	उत्तरकाशी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 844792.45 है० हैं। जिले का वन क्षेत्र 89379.711 हस्तांतरित वन भूमि के सापेक्ष अब तक किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण नहीं किया जा सका। आगमी वर्षों में क्षतिपूरक के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।
12	The map uploaded in online Part I indicating alternate examined is not visible the State Govt may upload the clear visible copy of the map.	फार्म A के पार्ट। के बिन्दु सं० D(a) में पुनः स्कैन करने के उपरान्त ऑनलाईन अपलोड किया गया है। जिसमें परिवर्तित समरेखण को नीले रंग से दर्शाया गया है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद कुमार) 11/11/16

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं माडल अधिकारी